विविध

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 14/2024
दायरा दिनांकः—06.06.2024
निर्णय दिनांकः— 25.6.25

उनवान

1. सोनु मीना आयु 23 वर्ष पुत्र कजोड जाति मीना निवासी ग्राम लफकना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 25.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भंवरसिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 48 की खसरा संख्या 107 की रकबा 1.0117 है०, खसरा नम्बर 108 की रकबा 0.5059 हैक्टयर, खसरा नम्बर 108/1 की रकबा 0.1265 है० भूमि खसरा नम्बर 18/2 की रकबा 0.1265 हैक्टयर खसरा नम्बर 190/1 रकबा 0.2656 है। कुल किता 5 की रकबा 2.0362 हैक्टयर भूमि वाके माल मोरेला तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/3 दर्ज है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की माता द्रोपतीबाई का फौती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से इन्तकाल मे प्रार्थी का नाम सोनू मीना के स्थान पर घर मे बोलता नाम अरविन्द दर्ज हो गया था जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सोनू मीना है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर अरविन्द के स्थान पर सोनू मीना किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थी का नाम सोनू मीना दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत अरविन्द दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वचित होना पड़

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

रहा है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहता है परन्तु जो प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है। प्रार्थी दिनांक 21/05/2024 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो उसे हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड मे अपने एंव उसके पिता के नामो की त्रुटि की जानकारी हुई। 8. प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियात के खाते में नाबालिंग दर्ज है जबकि प्रार्थी वर्तमान मे पूर्णतया बालिंग है। जिसे उक्त खाते में नाबालिंग के स्थान पर बालिंग दर्ज किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेला तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 48 फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 दर्ज है। प्रार्थी की माता द्रोपती बाई का फोती नामान्तरण खोलते समय सहवन से नामान्तरण में प्रार्थी का नाम सोनु मीना के स्थान पर घर में बोलता नाम अरविन्द दज्र हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सोनू मीना है प्रार्थी का नाम अरविन्द के स्थान पर सोनु मीना किया जाना आवश्यक है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में सोनू मीना दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से अरविन्द दर्ज हो गया है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ व फाल मुआवजा राशि से वंछित होना पड रहा है प्रार्थी के नाम के साथ नाबलिग दर्ज है प्रार्थी बालिग है सात में दर्ज नाबालिग को बालिग दर्ज किया जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अरविन्द के स्थान पर सोनू मीनाा एवं नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम लपकना के ग्राम वासियों से पुछताछ की गई ग्राम वासियों ने बताया कि सोनू मीना पुत्र कजोडीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में ग्राम मोरेला में प्रार्थी का नाम अरविन्द दर्ज है ग्राम वासियों से पुछताछ में बताया की ग्राम में अरविन्द को सोनु मीना के नाम से भी जाना जाता है जो कि एक ही व्यक्ति है एवं प्रार्थी के कागजात में आधार कार्ड पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में भी सोनू मीना ही है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 48 के अनुसार नाबा0 अरविन्द पुत्र कजोडीलाल दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज है प्रार्थी के आधार कार्ड पहचान पत्र व राशन कार्ड में सोनु मीना दर्ज है प्रार्थी की आयु मुताबिक पहचान पत्र 01.01.2001 अंकित है इससे यह साबित होता है कि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी बालिग है प्रार्थी के दस्तावेजात एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का सही नाम सोनू मीना है प्रार्थी का नाम अरविन्द नाबा0 के स्थान पर सोनू मीना दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा के खसरा नम्बर 107 रकबा 1.0117 है0 खसरा नम्बर 108 रकबा 0.5059 है0 खसरा नम्बर 108/1 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 18/2 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 190/1 रकबा 0.2656 है0 में दर्ज प्रार्थी का नाम अरविन्द नाबा0 के स्थान पर अरविन्द उर्फ सोनु मीना दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)